सभी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम उम्मेदनगर तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोन्ट्स:—

1. सरपंच ग्राम पंचायत उम्मेदनगर।
2. पाबुराम पुत्र श्री भपूराम
3. धनाराम पुत्र श्री भपूराम
4. मूमल पुत्री श्री भपूराम सभी जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम उम्मेदनगर, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

उपस्थित –

अपीलान्ट्स – अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।
रेस्पोडेन्ट्स – अनुपस्थित।

—::निर्णय::—

दिनांकः— 12/3/22

अपीलान्ट द्वारा एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रखी है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–अपीलान्ट्स मूलतः ग्राम उम्मेदनगर के मूल निवासी हैं तथा पूर्व पुरूष सादुलराम के वंशज हैं। अपीलान्ट्स की पैतृक व संयुक्त

सहायक कलेक्टर, जोधपुर

Scanned with CamScanner

हिन्दू परिवार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 350 रकबा 8 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 351/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा मौजा ग्राम उम्मेदनगर, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। जिसके राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में मंगलाराम, नैनाराम पिता सादुलराम, श्रीराम, ओमप्रकाश पिता दानाराम, लाछी पत्नी श्री दानाराम, कमला, कालु पुत्रिया दानाराम के नाम दर्ज हैं। खातेदार नेनाराम जो अपीलान्ट संख्या 1 मंगलाराम का सगा भाई व अपीलान्ट संख्या 2 से 6 के पिता पति दानाराम का भाई है। जो लाऔलाद फौत हो चुके है, जिनके उतराधिकारी केवल मात्र अपीलान्ट्स ही है। इनके अलावा नैनाराम के उतराधिकारी कोई नहीं है। नैनाराम फौत होने के बाद उसका फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2507 दिनांक 20.02.2014 को दर्ज कर ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा पारित किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा गलत तरीके से अपीलान्ट्स के साथ–साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का नाम भी नैनाराम के फौतेदगी म्युटेशन में दर्ज कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 नेनाराम के उतराधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 भपू पुत्र भारता के उतराधिकारी है। भपू पुत्र भारता के नाम से अन्य भूमि खसरा नम्बर 476 रकबा 35 बीघा 08 बिस्वा ग्राम उम्मेदनगर में 1/2 हिस्से के रूप में नाम दर्ज था। भूप पुत्र भारता फौत होने के बाद उसके स्थान पर उसके जाइंदा पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम से म्युटेशन दर्ज किया गया। इसी प्रकार निर्वाचन नामावली में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का नाम पाबुराम पुत्र भपाराम व धनाराम पुत्र भपाराम स्पष्ट रूप से दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 भपूराम के जाइंदा पुत्र व उतराधिकारी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 मूमल भी भपूराम की पुत्री है। इस प्रकार अपीलान्ट संख्या 1 मंगलाराम के भाई नेनाराम जो लाऔलाद फौत हो गया था उसके उतराधिकारी केवल मात्र अपीलान्ट्सगण ही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 नैनाराम के उतराधिकारी नहीं है न ही नैनाराम के फौतेदगी नामान्तरकरण में इनका नाम किसी भी आधार पर दर्ज किया जा सकता है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नैनाराम के फौतेदगी नामान्तरकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का नाम बिना किसी आधार के नामान्तरकरण पारित कर दिया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का मृतक नैनाराम से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम से अपीलान्ट के साथ दर्ज किया है जो एक शुन्य नामान्तरकरण की परिभाषा में आता है। आधार–ग्राम पंचायत उम्मेदनगर का अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विधान संचिका अभिलेख व तथ्यों के विरूद्ध तथा न्याय के विपरीत

सहायक कलेक्टर, ओसिया

Scanned with CamScanner

कानुनी गलत होने से काबिले खारिज हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मौके की कोई जांच नहीं की गई। मौके पर अपीलान्ट्स का लगातार अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित भूमि पर बतौर खातेदार कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं यदि अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व मौके की जांच की होती तो अपीलान्ट्स का कब्जा अवश्य ही सामने आता। लेकिन इस बाबत कोई जांच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नहीं की गई। मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का कोई कब्जा व काश्त नहीं हैं। इसलिए कब्जे के विपरीत भी नामान्तरकरण की कार्यवाही फर्जी तरीके से खोली गई हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण नैनाराम पुत्र श्री सादुराम का फौतेदगी नामान्तरकरण है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 उनके नैनाराम के उतराधिकारी नहीं होने के बावजदू भी उनके नाम से अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 भपू पुत्र भारता के उतराधिकरी है तथा मौके पर भी उनका कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार बिना मौके की जांच किये अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध तरीके से पारित कर दिया हैं, जो एक शुन्य नामान्तरकरण की परिभाषा में आता हैं, जो केवल इसी आधार पर काबिले खारिज हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्व. श्री नैनाराम के विधिक उतराधिकारीयों की सही जांच किये बिना गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम से जो पारित किया है वो कानूनन गलत है क्योंकि स्व. श्री नैनाराम के उतराधिकारी केवल मात्र अपीलान्ट्स ही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का नैनाराम से कोई सम्बन्ध नहीं है न ही किसी भी आधार पर नैनाराम के उतराधिकारी है रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 भपू पुत्र भारता के उतराधिकारी हैं जिनके नाम से दर्ज अन्य भूमि खसरा नम्बर 476 रकबा 35 बीघा 8 बिस्वा में 1/2 हिस्सा ग्राम उम्मेदनगर जिसके राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भपू पुत्र भारता फौत होने के बाद उनके स्थान पर नामान्तरकरण संख्या 2024 दर्ज किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का नाम दर्ज किया गया है। साथ ही निर्वाचन नामावली में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता का नाम भपाराम दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 नैनाराम के उतराधिकारी नहीं है। बिना नैनाराम के उतराधिकारी होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उनके नाम से यह फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है। जो एक शुन्य नामान्तरकरण की परिभाषा में आता है। जो केवल इसी आधार पर काबिले खारिज है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट्स को कभी नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.07.2015 को जब अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी की नकल प्राप्त की, तब हुई। तब अपीलान्ट्स ने हल्का पटवारी से पुछा

सहायक एडवोकेट, चौकिया

Scanned with CamScanner

कि नेनाराम के स्थान पर पाबुराम, धनाराम व मुमल का नाम कैसे दर्ज कर दिया ये तो नैनाराम के उतराधिकारी नहीं हैं तथा भपूराम के पुत्र पुत्री है। तब हल्का पटवारी ने कहा कि आज मेरे पास नामान्तरकरण का रेकर्ड नहीं है मैं कल परसो तक नैनाराम के फौतेदगी नामान्तरकरण की नकल उपलब्ध करवा दुंगा। इसी आधार पर दिनांक 29.07.2015 को हल्का पटवारी ने अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल अपीलान्ट्स को उपलब्ध करवाई तब सर्वप्रथम जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 का गलत तरीके से नैनाराम के उतराधिकारी बताकर अपीलान्ट्स के साथ नाम दर्ज कर दिया तब नामान्तरकरण की नकल लेने के बाद अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेट संख्या 2 से 4 के पास जाकर उक्त नामान्तरकरण के बारे मे पुछा तो उन्होंने कहा कि हल्का पटवारी की भूल से हमारे नाम दर्ज कर दिये होंगे हम आपके साथ चलकर ये नाम हल्का पटवारी से नैनाराम के फौतदगी म्युटेशन से हटवा देंगे। तब अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के कथनो पर विश्वास कर लिया लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 काफी समय तक अपीलान्ट्स के साथ चलकर अपने नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण से हटवाने बाबत् उनके साथ नहीं चले तो दिनांक 07.08.2015 को फिर से अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 को कहा कि आप हमारे साथ चलकर आपके नाम जो नैनाराम के फौतेदगी म्युटेशन में गलत दर्ज हुए है उसे हटवाओ तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 ने स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि हमारे नाम नहीं हटवायेंगे तब अपीलान्ट्स ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील तैयार करवाई जाकर प्रस्तुत की जा रही है। जो अन्दर म्याद पेश है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि नामान्तरकरण संख्या 2507 दिनांक 20.02.2014 जो ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा स्वीकृत किया गया, को आपास्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज एन्ट्री तहसीलदार ओसियां को तेहरीर जारी कर हटवाये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें।

अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड नोटस तलब किया गया। जिसकी डाक रसीदे शामिल पत्रावली की गई, रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

बहस अपीलान्ट अधिवक्ता सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण 2507 जो ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा दिनांक 20.02.2014 को स्वीकृत किया गया जो

सहायक कलेक्टर ओसियां

Scanned with CamScanner

खातेदार नेनाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण है। नैनाराम के उतराधिकारी के रूप में अपीलान्ट संख्या 1 नेनाराम का भाई व अपीलान्ट संख्या 2 से 6 नेनाराम के भाई दानाराम के उतराधिकारी है तथा मूल नामान्तरकरण संख्या 2507 हल्का पटवारी से तलब किया जाकर पत्रावली में सलग्न नामान्तरकरण की प्रति से मिलान किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 भपूराम के उतराधिकारी है, जो मृतक नेनाराम के उतराधिकारी नहीं है नेनाराम के फौतेदगी नामान्तरकरण अपीलान्ट के साथ–साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 के नाम से जो दर्ज किया गया है वह कानूनी प्रावधानों के विपरीत है तथा किसी भी आधार पर इनके नाम से नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने में ग्राम पंचायत उम्मेदनगर की त्रुटि रही है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2507 जो दिनांक 20.02.2014 को ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा स्वीकृत किया गया, को आपास्त किया जाकर तहसीलदार तिंवरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पूर्व खातेदार नेनाराम पुत्र श्री सादुलराम के विधिक उतराधिकारियों की जांच कर अपीलान्ट के नाम से नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अमल दरामद किया हावें। पालना बाबत् तहसीलदार तिंवरी को पत्र जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 13/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,ओसियां

Scanned with CamScanner